

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:—जीसीएमएस नम्बर 2025 / 194

1. सूरजी पुत्री रामनाथ स्त्री रमेश चन्द गुर्जर, निवासी बीसा का बास, तहसील, थानागाजी, हाल निवासी ठेकला की ढाणी, तन नारायणपुर तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
2. भोती पुत्री रामनाथ, स्वी रामनिवास गुर्जर, निवासी बीसा का बास, तहसील, थानागाजी, हाल निवासी ठेकला की ढाणी, तन नारायणपुर तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
3. माना पुत्री रामनाथ स्त्री जयराम गुर्जर निवासी बीसा का बास, तहसील, थानागाजी, हाल निवासी ठेकला की ढाणी, तन नारायणपुर तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत विजयपुरा हाल ग्राम पंचायत भूडियावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भूडियावास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।
3. लाली पुत्री बोदा, जाति गुर्जर, निवासी बीसाकाबास, तहसील थानागाजी जिला अलवर।
4. सुन्दर पुत्र बोदा, जाति गुर्जर निवासी बीसाकाबास, तहसील थानागाजी जिला अलवर।
5. हनुमान पुत्र बोदा, जाति गुर्जर, निवासी बीसाकाबास, तहसील थानागाजी जिला अलवर।
6. लाला पुत्र बोदू उर्फ बोदिया, जाति गुर्जर निवासी बीसाकाबास, तहसील थानागाजी जिला अलवर।
7. एस.बी.आई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, एस.डी.एम.कोर्ट के सामने थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:—

1. श्री हजारी लाल शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विजयसिंह राठौड़, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 की ओर से

दिनांक: 16.02.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 (अपील संख्या 12/06/2021) से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि चुना के तीन पुत्र चन्द्र, कालू व छोटे हुये तथा चन्द्र के चार पुत्र सरकारा, रामसहाय, रामनाथ व बोदू हुये। जिनमें से सरदारा कालू के गोद चला गया तथा रामसहाय लाओलाद फौत हुआ जिसकी वारिसान पत्नी मु. ग्यारसी हुई तथा रामनाथ के वारिसान अपीलार्थीगण व उनकी माता मु. ग्यारसी हुई तथा बोदू के वारिसान में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 हुये। उन्होने आगे कथन किया है कि वाके ग्राम बीसा का बास, तहसील थानागाजी जिला अलवर स्थित आराजी कुल किता 12 कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा (जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 96, 97, 274, 280, 288, 308 नुमाईशी अंकन के आधार पर बोदू (बोदा) के नाम व वर्तमान में उसके वारिसान के

P.T.O.

नाम है) के बाबत नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 24.06.1962 को ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से समस्त खातेदारान की खातेदारी नियम विरुद्ध खारिज करते हुये नामान्तरकरण संख्या 162 अपनी मनमर्जी से स्वीकृत किया गया तथा विवादग्रस्त आराजी की मौके पर कब्जे की जांच किये बिना व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ग्राम पंचायत विजयपुरा ने दिनांक 24.06.1962 को नामान्तरकरण संख्या 162 स्वीकृत किया गया जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण नहीं करते हुये केवल मात्र तकनीकी आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 पारित करते हुये अपीलान्ट की अपील विधि विरुद्ध तरीके से खारिज फरमा दी गई, जो आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलार्थीगण अपने हक-पूर्वाधिकारी पिता रामनाथ के समय से ही उनके हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है तथा आज भी विवादग्रस्त पर अपने हिस्से की आराजीयात पर अपीलान्ट ही मौके पर कब्जा काश्त है तथा फसल इत्यादि कर अपना व अपने परिवार का लालन-पालन कर ही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत ने जो नामान्तरकरण संख्या 162 में आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतः अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों के विपरित पारित किया गया है। कानूनन ग्राम पंचायत को विरासत का नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत या विधिक दस्तावेजात के आधार पर अथवा सक्षम न्यायलाय द्वारा पारित आदेश/डिक्री की पालनार्थ ही कृषि भूमि में खातेदारी को परिवर्तित करने या नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है। इसके विपरीत ग्राम पंचायत को मनमर्जी से किसी भी व्यक्ति की खातेदारी को परिवर्तित या विलोपित करने का कतई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन इन सब के बावजूद भी ग्राम पंचायत विजयपुरा सरपंच द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुये रामनाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी को विधि विरुद्ध तरीके से बोदू(बोदा) के नाम दर्ज व अंकित किये जाने के आदेश नामान्तरकरण संख्या 162 में दिये गये तथा उक्त विधि-विरुद्ध व क्षेत्राधिकार विहिन स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार पर रामनाथ की खातेदारी विलोपित कर बोदू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मियाद के बिन्दू को आधार बनाये जाने से पूर्व निर्णयकर्ता को प्रकरण की मैरिट को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। किसी भी पक्षकारान के हक-हकूकों को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने के दौरान मियाद के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण लिया जाना न्यायहित में आवश्यक होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके उसके वास्तविक स्वात्व अधिकारों से महरूम नहीं रहना चाहिये तथा कानूनन किसी भी प्रकरण को निर्णित किये जाने से पूर्व प्रकरण की मैरिट को ध्यान में रखा जाना अति-आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करन से पूर्व पत्रावली का बगैर अवलोकन किये एवं नामान्तरकरण संख्या 162 का बगैर अवलोकन किये तथा ना ही प्रकरण के तथ्यों का गुणावगुण व मैरिट की ओर अपना ध्यान आकृषित किया, केवल मात्र तकनीकी आधार पर सरसरी तौर पर ही मियाद के बिन्दू पर अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो

(3)

विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2024 व ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा दिनांक 24.06.1962 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 162 वाके ग्राम बीसाकाबास तहसील थानागाजी अलवर (जिसके तहत चन्द्र के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जो चन्द्र के वारिसान के नाम दर्ज व अंकित थी को अकेले बोदू (बोदा) के ही नाम दर्ज कर दी गई थी) को खारिज फरमाया जाकर चन्द्र के समस्त वारिसान के नाम चन्द्र की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत के आदेश सम्बन्धित तहसीलदार को प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेषपोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 24.06.1962 के खिलाफ लगभग 60 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 162 एवं उसमें वर्णित आराजी की बाबत सन् 1985 से पूर्व से ही पक्षकारान के मध्य अपने-अपने अधिकारों को तैय कराने के लिए अपील, दावा, निगरानी आदि विभिन्न न्यायालयों यथा उपखण्ड अधिकार जिला कलक्टर संभागीय आयुक्त, राजस्व मण्डल अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला न्यायाधीश आदि में पेश किये गये थे तथा इन मुकदमों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय-समय पर आदेश निर्णय/डिक्री के आधार पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 162 एवं उसमें अंकित आराजी के बाबत फाईनल निर्णय हो चुके है इसके बावजूद भी अपीलान्त द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर एवं वास्तविक तथ्यों को दुर्भावना पूर्वक जानबुझकर छिपाते हुए नामान्तरकरण करीब 60 सालों बाद यह अपील दायर की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि प्रकरण में प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 24.06.1962 के विरुद्ध असाधारण विलम्ब से लगभग 58 वर्ष पश्चात दिनांक 29.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जबकि पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत भूमि को लेकर विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन/निर्णित हुए है। ऐसी स्थिति में उक्त असाधारण विलम्ब को क्षम्य किये जाने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध ही नहीं रहे थे तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकारान के कोई हक हकूक अधिकार नहीं होते है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।


अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2024 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पूनम)

संभागीय आयुक्त
जयपुर।



संभागीय आयुक्त
जयपुर।